



2026: AHC:20831

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 1265 सन् 2026

मोहम्मद अफरोज अली

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

भारत संघ और 6 अन्य

..... उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार गुप्ता, भृगुराम जी, धर्मेंद्र यादव, लक्ष्मी शंकर यादव

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अनुराग शर्मा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री आशुतोष कुमार गुप्ता और उत्तरदाताओं के अधिवक्ता, श्री अनुराग शर्मा को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, यद्यपि, उन्हें इस संबंध में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।
3. इस याचिका में उत्तरदाताओं को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई।
4. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुराग शर्मा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दावा विचाराधीन है और इस पर प्रथम दृष्टया छठे उत्तरदाता, उप महानिरीक्षक समूह केंद्र कार्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, काठगोदाम, जिला नैनीताल, उत्तराखंड द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. दोनों पक्षकारों के तर्कों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता छठे प्रतिवादी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, छठे उत्तरदाता को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करना होगा। यदि छठे उत्तरदाता का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह कहना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय उत्तरदाताओं से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास

बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"